राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(9)गृह–1/2018 (7793) पार्ट जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2023–24 की दिनांक 24.01.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री उदय सिंह चुण्डावत/अर्जुन सिंह एवं श्री गजेन्द्र सिंह/बाघ सिंह के विरूद्व परिनिन्दा/वार्षिक वेतन वृद्धि (असंचयी प्रभाव) का दण्ड प्रभावी था परन्तु मा0 न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15542/2023 द्वारा उदय सिंह चुड़ावत में पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 एवं एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14672/2023 द्वारा श्री गजेन्द्र सिंह में पारित आदेश दिनांक 18.09.2023 की पालना स्वरूप इनकी पदोन्नति की अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई है।

प्रकरण में मा0 न्यायालय में दायर अवमानना याचिका के मद्देनजर मा0 न्यायालय के आदेश 29.09.2023 एवं 18.09.2023 की पालना स्वरूप क्रमशः श्री उदय सिंह चुण्डावत राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2023–24 की दिनांक 24.01.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सील्ड कवर किये गये श्री उदय सिंह चुण्डावत एवं श्री गजेन्द्र सिंह की सील्ड कवर अभिशंषा को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री उदय सिंह चुण्डावत/अर्जुन सिंह एवं श्री गजेन्द्र सिंह/बाघ सिंह को विभाग की ओर से प्रकरणों में दायर की जाने वाली डी.बी. स्पेशल अपील मे होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2023–24 में रिक्ति दिनांक 01.04.2023 के प्रति एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री उदय सिंह चुण्डावत की वरिष्ठता श्री रतन सिंह/नारायण सिंह (सामान्य) के नीचे एवं श्री अनीष अहमद/बाबू खान (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है तथा श्री गजेन्द्र सिंह की वरिष्ठता श्री अनिल कुमार विश्नोई/प्रहलाद राय (सामान्य) के नीचे एवं श्री विष्णु कुमार खत्री/गोपाल खत्री (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री उदय सिंह चुण्डावत एवं श्री गजेन्द्र सिंह, आरपीएस अग्रिम आदेशो तक वर्तमान पद पर ही यथावत कार्य करते रहेंगे तथा इनको रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कश्मी कौर)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Signature Not Verified
Digitally Signed by Kashmi Kaur Raan
Designation : Joint Secretary To Government
Date :03-12-2024 04:50:15

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

D:/JHALA 2022/ACP/Latter

RajKaj Ref No.: 12189035